

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 555/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट

महावीर पुत्र सन्तराम जाति ब्राहमण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. भानीराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. राजाराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. शंकरलाल पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. मायादेवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
5. बाबुलाल पुत्र संतराम जाति ब्राहमण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री सुनील देहडू प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 31.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी महावीर को चक 99 आर.डी. के प0 न0 71/2 (47) के किला न 24 की 0.253 है0 25 की 0.178 है0 पश्चिमी पासा प0 न0 71/4 (63) के किला न0 6,7, 14 ता 17 की 1.518 है0 प0 न0 71/12 (64) के किला न0 1 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा 10 की 0.202 है0 पश्चिमी व दक्षिणी पासा 11, 20, 21 की 0.759 है0 कुल 2.923 है0 भूमि का,
2. प्रतिवादी स0 1 भानीराम 2 राजाराम 3 शंकरलाल 4 मायादेवी को ब हिस्सा बराबर चक 99 आर.डी. के प0 न0 71/3 (62) के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24/2, 25/2 की 2.480 है0 प0 न0 71/4 (63) के किला न0 4,5 की 0.506 है0 प0 न0 71/10 (48) के किला न0 17, 24, 25 की 0.759 है0 18 की 0.151 है0 पूर्वी पासा प0 न0 71/11 (61) के किला न0 1/2, 2 ता 5, 8, 9 की 1.746 है0 10/1 की 0.203 है0 उतरी= 1.949 है0 कुल 5.845 है0 भूमि का,
3. प्रतिवादी स0 5 बाबुलाल को चक 99 आर.डी. के प0 न0 71/2 (47) के किला न0 16, 17 की 0.506 है0 25 की 0.075 है0 पूर्वी पासा प0 न0 71/10 (48) के किला न0 18 की 0.102 है0 पश्चिमी पासा 19 ता 23 की 1.265 है0 प0 न0 71/11 (61) के किला न0 10/1 की 0.025 है0 दक्षिणी 11/2, 20/2, 21/2 की 0.683 है0 प0 न0

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

71/12 (64) के किला न0 1 की 0.240 है0 पुर्वी पासा 10 की 0.051 है0 उतरी पुर्वी
पासा कुल 2.922 है0 भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है।
इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना
वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.12.2024
को जारी की गई।

om
(संजय कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकाारी
रायनसमर